न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 219 / 2023

अनवान : –

1. बनवारीलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. आदराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र धनपत जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. कालुराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 14/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58 / 44 के ख0न0 206 की 5.1980 हैक्ट, 208 की 1.0750 हैक्ट कुल 6.3730 हैक्ट भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि दो ग्रामो के बीच स्थित है तथा ग्राम के नजदीक वन विभाग है। उक्त भूमि की भूप्रबन्ध विभाग बीकानेर द्वारा पैमाईश की गई है। गैरसायलान सायल की भूमि पर काबिज होकर निर्माण करना चाहते है। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की ताफैसला दावा उक्त भूमि में कब्जा व मदाखलत बैजा न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58 / 44 की कुल 6.3730 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्राथीगण उक्त भूमि में दखलअन्दाजी न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि गांव के चिपते हुए है गैरसायलान व अन्य लोगो द्वारा करीबन 70 वर्ष पूर्व पक्के मकान नि[illegible] गये है। ग्राम पंचायत द्वारा सड़के भी बना दी गई है एवं पानी व बिजल[illegible] मकानात बने हुए है यानि की आबादी बसी हुई है। न्यायालय [illegible] संख्या 181 / 2023 अ[illegible] महावीर आदि बनाम बृजलाल में प्रार्थना पत्र 212 सायलान के [illegible]रूद्ध निर्णित हो चुक[illegible] जिसकी अपील सायलान द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की गई एवं माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय द्वारा भी सायलान की अपील खारिज की जा चुकी है उक्त भूमि के आवंटन की अपील माननीय अति0 जिला कलक्टर नोहर के न्यायालय मे विचाराधीन है प्रार्थी ने उक्त समस्त तथ्य छुपाकर यह प्रार्इना पत्र पेश किया है प्रार्थी क्लीन हैण्ड नही आया है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना हैं।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है लेकिन अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 20.06.2024 अनवानी महावीर आदि बनाम बृजलाल मे पारित निर्णय पारित किया गया है एवं उक्त निर्णय की अपील सायलान द्वारा ही माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की गई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2025 को सायलान की अपील खारिज की जा चुकी है अर्थात पूर्व में इसी भूमि का इन्ही पक्षकारों के मध्य प्रार्थना पत्र निर्णित किया जा चुका है जिसमें सायलान को गैरसायलान के निर्मित मकान की तोड़ फोड व बेदखल हेतु सायलान को पाबन्द किया गया है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 22.08.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक....14/07/25.......मेरे [illegible]खाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर